मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/ऑनलाइन लाइसेंस/2019-20/1573 भोपाल 26/03/2019

प्रति
1. संयुक्त / उप संचालक,
   म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आँचलिक कार्यालय - (समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति
   (समस्त)

विषय - MPOnline Portal पर ऑनलाइन लाइसेंस प्रदाय प्रक्रिया में शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाओं से प्रतिभूति की छूट के संबंध में ।

वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनाँक 18 मार्च 2019 में मण्डी सचिवों के द्वारा MPOnline Portal पर ऑनलाइन लाइसेंस प्रदाय के संबंध में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया ।

यह कि मण्डी में शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाएं (जिन्हें मण्डी अधिनियम, उपविधि अनुसार प्रतिभूति से छूट है), को ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन में प्रतिभूति की अनिवार्यता होने से आवेदन किये जाने में कठिनाई हो रही है ।

इस संबंध में अवगत होवें कि मण्डी कृत्यकारी अंतर्गत व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता, फल-सब्जी व्यापारी, फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता आदि अनुज्ञप्ति आवेदन हेतु प्रतिभूति के दस्तावेज की Scanned Copy अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है । अब यह एक Optional दस्तावेज है ।

अतः अब शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाएं (जिन्हें मण्डी अधिनियम, उपविधि अनुसार प्रतिभूति से छूट है) बिना किसी प्रतिभूति की अनिवार्य शर्त के आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी ।

शेष अन्य आवेदक, जिन्हें प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है, पोर्टल पर इच्छानुसार, प्रतिभूति के दस्तावेजों की Scanned Copy अपलोड कर सकेंगे ।

परंतु ऐसे सभी आवेदक, जिन्हें प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के 7 दिवस की अवधि में प्रतिभूति के ओरिजिनल दस्तावेज (एफडीआर, बैंक गारंटी, स्थावर संपत्ति के दस्तावेज) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे ।

उक्तानुसार सभी संबंधितों को भी अवगत कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल